


कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां
कमांच / नवजीवन / सान्याअवि / २० / १५६९

दिनांक 24.08.2020

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

जिले में नवजीवन योजना अन्तर्गत अवैद्य शराब के निर्माण, भण्डारण, विक्रय में लिप्त समुदाय/परिवारों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से विकास तथा पुर्नवास यथा आजीविका के वैकलिक अवसर/संसाधन उपलब्ध कराना, अशिक्षा को दूर करना एवं उन्हे मूल भूत सुविधाएँ प्रदान कराने हेतु योजना में सम्मिलित जातियाँ यथा कंजर, सांसी, भाट, भाण्ड, नट, राणा, डोम, ढोली, मोगिया (मोग्य), बाबरिया, बेडिया, बागरिया, सिरकीवाला, चौबदार समुदायों के व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नवजीवन योजना के क्षेत्र में कार्यरत/रुचि रखने वाली पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी कर बारां जिला मुख्यालय के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्ट द्वारा अपना आवेदन पत्र दिनांक 10.09.2020 तक कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बारां को प्रस्तुत किया जायेगा। निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिये विभागीय वेब-साईट www.sje.rajasthan.gov.in एवं कार्य दिवस के दौरान कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गजनपुरा बारां में सम्पर्क किया जा सकता है।


(राकेश कुमार शर्मा)
सहायक निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
बारां

- केन्द्र पर समस्त आवश्यक रजिस्टरों एवं रिकार्ड का संधारण करना।
- प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की नियमित मॉनिटरिंग करना तथा सुधार हेतु समय—समय पर यथोचित सुझाव देना।
- प्रायोगिक कार्यों के आयोजन के लिए आवश्यकतानुसार कच्चे माल की व्यवस्था करना।
- प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षण रिपोर्ट मय समस्त आवश्यक दस्तावेजों के जिला कार्यालय में भिजवाना।
- प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करना।
- जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक एवं अन्य संबंधित बैठकों में भाग लेना।
- विभाग द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलब्ध कराना।
- विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आंकलन एवं निरीक्षण के समय सहयोग करना।
- प्रशिक्षण उपरान्त ऐसी संस्थाओं द्वारा लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ख—रोजगार हेतु बैंक/अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने में आवश्यक रूप से सहयोग दिया जाएगा।

(ग) प्रशिक्षण एवं सहायक प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर):—

प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान अधिक से अधिक हुनर प्राप्त हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें प्रायोगिक कार्य अधिकाधिक कराया जाए। इस हेतु मुख्य प्रशिक्षक के अतिरिक्त एक सहायक प्रशिक्षक की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।

जिस कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके मुख्य प्रशिक्षक के पास उस क्षेत्र से संबंधित डिग्री होनी चाहिए तथा सहायक प्रशिक्षक के पास उस क्षेत्र से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए तथा उन्हें वह कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मुख्य प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षक के पास डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं होने की दशा में उन्हें संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

३८

Om Prakash Bunkar
Director
SJED

विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं योजना में सम्मिलित ट्रेड के अनुसार गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थी को कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा जिस पर संबंधित जिला कलक्टर एवं जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के हस्ताक्षर होंगे।

(र) लेखों का अंकेक्षण:-

प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान आवंटित बजट के अनुर उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट) के प्रिन्टेड लेटर हैड पर प्रमाणित करवाकर संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा व्यय लेखों को विवरण रिकॉर्ड- कम से कम तीन वर्षों तक सुरक्षित रखेंगे।

(ल) ज्ञान की आन्तरिक स्तर पर परीक्षा एवं प्रमाणिकरण:-

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत परीक्षक, जो प्रशिक्षणदाताओं से पृथक होगे, अति लघु/लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न तैयार करेंगे जो अधिकतम 100 अंक के होंगे। परीक्षा का समय 1 घंटा होगा। प्रायोगिक कार्य के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा अर्जित दक्षताओं में से वांछित दक्षताओं का प्रस्तुतीकरण करना आवश्यक होगा। प्रशिक्षक इसमें पूरा सहयोग करेंगे तथा आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे।

Om Prakash Bunkar
Director
SJED

कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बारां

नवजीवन योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये आवेदन पत्र

1. संगठन/संस्था का नाम
2. संस्था का स्थायी पता
3. संस्था का अध्यक्ष का नाम, पता एवं मौबाईल व ई-मेल
4. संस्था का अध्यक्ष/सचिव का आधार कार्ड नम्बर
5. पंजीयन संख्या (किस अधिनियम के अन्तर्गत)
(प्रमाण पत्र, संविधान, उददेश्य, नवीन कार्यकारिणी
के सदस्यों के नाम आदि की प्रमाणित प्रति तथा पता)
6. नवजीवन योजना के क्षेत्र में अनुभव के दस्तावेज
7. स्टाफ का विवरण
8. संस्था का अध्यक्ष/सचिव द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर
राज्य सरकार के नियमों के प्रति वचनबद्धता
9. सलंगन किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची
 1. गत तीन वर्ष की प्रगति रिपोर्ट
 2. संस्था के गत तीन वर्ष के अंकेक्षित लेखे।
 3. संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार
अथवा किसी भी उपक्रम द्वारा काली सूची में
नहीं होने संबंधी नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र
 4. संस्था के बैंक खाता विवरण(पासबुक प्रति सलंगन भी करें)
10. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने का दस्तावेज प्रमाण

मैने योजना के दिशा निर्देशों को पढ़कर भलिभौति समझ लिया है ओर मैं उसकी
अपेक्षियों की शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। संस्था योजना की सभी शर्तों का अनुपालन करने
पर व्यनवद्ध है।

संस्था का अध्यक्ष एवं सचिव/प्रबन्धक के सुयंकृत हस्ताक्षर
नाम पता/मुहर तारीख